1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

01.8.2023

न्यायालयः— भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

विविध अपील वाद सं0 01/2019—20

शिव साहू पिता स्व0 गोपीचन्द साह ..... अपीलार्थी।

बनाम्

दुलारी देवी पति सुरेन्द्र प्रसाद ..... प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 584/1987—88 में पारित आदेश के विरूद्ध ग्राम चेचरिया थाना नगर उंटारी के मांगपंजी 2 के पेज नं0 21/4 पर कायम है उसे जमाबंदी सुधार/रद्द करने हेतु अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र पर आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत किया गया एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है किः— 01 आवेदक शिव साह ने बजरिये निबंधित दस्तावेज संख्या 2002 दिनांक 18.03.1974 ई0 को मुस्तकीम साई बल्द कोदू साई साकिन चेचरिया थाना नगर उंटारी से ग्राम चेचरिया के खाता नं0 61 प्लॉट नं0 343/786 रकबा 0.02 एकड़ भूमि क्रय की एवं उसके दखल कब्जा में आए। केवाला द्वारा भूमि प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक ने उक्त भूमि का दाखिल खारिज राज्य सरकार के सिरिस्ते में करा लिया जिसकी जमाबंदी शिव साह आवदेक के नाम से ग्राम चेचरिया के मांगपंजी 2 के पेज नं0 84/3 पर कायम है।

02 उपरोक्त भूमि पर आवेदक ने एक किता मकान भी बनवाया है जिसका होल्डिंग नं0 0एम ए000428100ए3 है जिसका लगान भी आवेदक ने नगर पंचायत नगर उंटारी में जमा कर दिया है।

03 गत सर्वे के खाता नं0 383/786 से वर्तमान सर्वे के नया प्लॉट 1283 बना है जिसका किस्म सहन दर्शाया गया है एवं अवैध दखल कॉलम में शिव साह आवेदक का नाम दर्ज है एवं उक्त प्लॉट का नया खाता 387 बना है जिसमें खाताधारी हरिहर साव वगैरह है।

04 गत सर्वे के खाता नं0 786 का कुल खतियानी रकबा 0.06 एकड़ है जिसके खतियानी रैयत वफाही साई थे वफाही साई के पुत्र कोदू साई थे। कोदू साई के तीन लड़के थे।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

जिनका नाम क्रमशः अजीज साई, अयूब साई, मुस्तकीम साई है।

05 वर्तमान सर्वे में प्लॉट नं0 786 से आवेदक का नया प्लॉट 1283 बना है जो किस्म जमीन सहन है एवं खाताधारी हरिहर साह वगैरह है।

06 विपक्षी गण ने गलत तरीके से उक्त भूमि की जमाबंदी अपने नाम से कायम करा ली है जो ग्राम चेचरिया के मांगपंजी 2 के पेज नं0 21/4 पर अंकित है, जमाबंदी कायम करने का आधार 584/1987–88 बताया गया है।

07 जब आवेदक ने नामांतरण वाद संख्या 584/1987–88 के आदेश फलक की नकल हेतु आवेदन दिया तो अंचल कार्यालय नगर उंटारी ने यह बताया गया कि उक्त अभिलेख नगर उंटारी अंचल कार्यालय में नहीं है आवेदक के आवेदन पत्र को वैसे ही वापस कर दिया।

08 प्रश्नगत प्लॉट की भूमि की जमाबंदी अभी भी आवेदक के नाम से कायम है एवं उसी भूमि की जमाबंदी विपक्षी के नाम से भी कायम हो गई है विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी दोहरा मांग है जिसे खारिज/रद्द करना उचित है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दोहरा मांग के चलते विपक्षी की जो जमाबंदी ग्राम चेचरिया थाना नगर उंटारी के मांग पंजी 2 के पेज नं0 21/4 पर कायम है उसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 केवाला संख्या 2002 का छायाप्रति ..... 05 फर्द
02 लगान रसीद का छायाप्रति ..... 01 फर्द
03 रजिस्टर 2 का छायाप्रति ..... 01फर्द
04 सूचना अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी का प्रति ..... 02 फर्द
05 वर्तमान सर्वे के खाता नं0 387 की खतियान का छायाप्रति .... 01 फर्द
06 नकल के आवेदन पत्र की प्रति ..... 01 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि :– 01 अपीलार्थी के द्वारा अपील कालातीत होने के बाद दायर किया गया है जो खारिज योग्य है।

02 अपीलार्थी ने नाहक तंग वो परेशान करने के उद्देश्य से अपील दायर किया गया है।

03 अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी आपस में पिता पुत्री है।

04 वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी को रूपये की जरूरत थी जिसे प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दी रूपया वापस मांगने पर अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि दान पत्र के माध्यम से निवंधित कर दे दिया जिसमें मकान अवस्थित है उक्त मकान में प्रत्यर्थी अपने पुरा परिवार के साथ रहती है जिसका नामांतरण कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रही है। अंचल अधिकारी का आदेश विधि सम्मत है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

05 प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की केवाला से खरीदी भूमि थी जिसे दानपत्र द्वारा प्रत्यर्थी को दिया है।

06 ऑनलाईन रसीद भी प्रत्यर्थी के नाम कटती है चूँकि वर्ष 1989 से पहले अपीलार्थी ने भूमि क्रय किया था इस लिए हाल सर्वे में खाता उनके नाम बना है।

07 अपीलार्थी की नियत जब खराब हो गई एवं प्रत्यर्थी को परेशान करने के उद्देश्य से यह वाद लाया है। अपीलार्थी ने 144 द0प्र0स0 का भी मुकदमा किया था, जिसमें उन्हें व्यवहार न्यायालय में जाने का आदेश हुआ है।

अतः प्रत्यर्थी की ओर से लिखित जवाब स्वीकार कर अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी नगर उंटारी को आदेश यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 केवाला का छायाप्रति ..... 04 फर्द
02 ऑफलाईन लगान रसीद का छायाप्रति ..... 02 फर्द
03 ऑनलाईन लगान रसीद का छायाप्रति ..... 01 फर्द

अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा पत्रांक 456 दिनांक 07.07.2023 से प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी दुलारी देवी पति सुरेन्द्र प्रसाद का दखल कब्जा बताया गया है तथा वर्तमान में दुलारी देवी का पक्का मकान अवस्थित है एवं नामांतरण वाद संख्या 584/1987–88 जो अंचल कार्यालय के रजिस्टर नं0 27 में अंकित है। रजिस्टर नं0 27 का छायाप्रति संलग्न कर प्रतिवेदित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र, अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर वो अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात एवं अंचल अधिकारी नगर उंटारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा चेचरिया के खाता सं0 61 प्लॉट सं0 343/786 रकबा 02 डीसमील भूमि अपीलार्थी शिव साह पिता स्व0 गोपी चन्द साहु से बख्शीसनामा (Gift Deed) सं0 6515 दिनांक 04.09.1986 से प्रत्यर्थी दुलारी देवी पति सुरेन्द्र प्रसाद को प्रश्नगत भूमि प्राप्त है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 584/1987–88 से नामांतरण होकर मांगपंजी पर संधारित है एवं लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। अपीलार्थी शिव साह को केवाला सं0 2002 दिनांक 24.04.1974 से मुस्तकीम साई पिता कोदु साई मरहुम से मौजा चेचरिया के खाता सं0 61 प्लॉट सं0 343/786 रकबा 02 डीसमील भूमि प्रश्नगत भूमि प्राप्त है जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 171/1975–76 से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अंचल अधिकारी नगर उंटारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी दुलारी देवी का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0 84/3 पर अपीलार्थी के नाम एवं मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0 21/4 पर प्रत्यर्थी के नाम से जमाबंदी दर्ज है, जो दोहरी/संदेहास्पद जमाबंदी कायम है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। यह मामला प्रश्नगत भूमि का मांग दोहरी/संदेहास्पद जमाबंदी से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

01/VIII/3.

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

01/VIII/3.

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.09.12 13:21:06 +05:30
Location: 192.168.1.43

Scanned with CamScanner